

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 491/14

संस्थापन दिनांक:-05/08/14

फाईलिंग नं. 233504004312014

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

गणेश पिता सरवन रावत  
उम्र 42 वर्ष, निवासी शिवपुरी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 16.01.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 13.06.2014 को समय रात करीब 11:00 बजे ग्राम शिवपुरी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी किरणबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2014 को रात करीब 11 बजे अभियुक्त ने फरियादी को बिना कारण ही मादरचोद छिनाल मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा उसे गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे बांस की लाठी से मारपीट किया जिससे उसे बांये हाथ की कलाई में कली अंगुली और बांये तरफ कमर, पीठ में चोट आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 437/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी किरणबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को बांस की लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

#### विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का निराकरण

5 किरण (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे अभियुक्त ने घटना के समय गंदी गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी किरण (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

8 किरण (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त शराब पीकर आया और उसके साथ लामा-झूमी की और उसके बाद मारपीट की जिससे उसे बांये हाथ में चोट आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने दिनांक 14.06.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत किरण का परीक्षण किये जाने पर आहत की पीठ में दर्द, बांये हाथ की अनामिका पर दर्द एवं सूजन तथा बांये कूल्हे के जोड़ पर 2 गुणा 3 सेमी. आकार का कन्टूजन होना तथा उक्त चोटों कड़े एवं बोथरे हथियार से आना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-6) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है।

10 जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 14.06.2014 को थाना आमला में एसआई के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 437/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) एवं दिनांक 16.06.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-6) का गिरफ्तारी पत्रक बनाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

11 साक्षी हेमराज रावत (अ.सा.-4) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। धनियाबाई (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे घटना के कुछ दिन बाद पता चला था कि अभियुक्त का फरियादी के साथ विवाद हुआ था। उपर्युक्त दोनों साक्षियों से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र फरियादी की साक्ष्य उपलब्ध है। अतः मात्र उसके कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन

अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि साक्षी हेमराज रावत (अ.सा.-4) तथा धनियाबाई (अ.सा.-2) ने घटना का समर्थन नहीं किया है परंतु उक्त दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उन्हें घटना के बाद में यह पता चला था कि फरियादी एवं अभियुक्त के बीच में झगड़ा हुआ था। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से उभयपक्ष के मध्य विवाद होने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

14 किरण (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके साथ लामा-झूमी की थी उसके बाद उसे मारा था जिससे उसे बांये हाथ में चोट आयी थी। उपर्युक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि जब अभियुक्त शराब के नशे में नहीं रहता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है परंतु इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने अभियुक्त की झूठी रिपोर्ट की है। साक्षी ने यह बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौच की थी तथा उसे मारा ठोका था इसलिए रिपोर्ट की थी।

15 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 13.06.2014 की रात्रि 11 बजे की है तथा फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन दिनांक 14.06.2014 को सुबह लगभग 10 बजे की गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब से रिपोर्ट लेख कराये जाने का कारण रात्रि होने से साधन उपलब्ध न होना लेख कराया गया है जो कि विलंब का समुचित कारण प्रतीत होता है। फरियादी किरण (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। यद्यपि मारपीट किये जाने वाले अस्त्र के संबंध में उसकी साक्ष्य में विरोधाभास है परंतु साक्षी अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर अखंडित है। अतः उपर्युक्त विरोधाभास से अभियोजन के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उसकी साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है। यद्यपि किसी भी स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन नहीं किया गया है परंतु यह उल्लेखनीय है कि किसी भी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। आहत/फरियादी मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

16 अभियुक्त के द्वारा एकदम से आकर फरियादी किरणबाई (अ.सा.-1) के साथ मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण**

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी किरणबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त गणेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323 भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

18 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

19 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

20 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

21 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी एक ही ग्राम के निवासी हैं एवं घटना में फरियादी को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

22 धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 700/- रुपये आहत किरण पति अनिल रावत निवासी शिवपुरी, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

23 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

24 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)